न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 10/2019

दिलीपकुमार चौखानी पुत्र सांवरमल चौखाणी जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 32 नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

मन्दिर महादासजी जरिये पुजारी व सरंक्षक महेशकुमार पुजारी पुत्र मातादीन पुजारी जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 33, नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

ऐडवोकेट वादी— श्रीमती स्नेहलता
~~ऐडवोकेट प्रति0~~

निर्णय

दिनांक 15.04.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कस्बा नवलगढ में स्थित चौखाणी गैस सर्विस का प्रोपराईटर है तथा इण्डियन ऑयल गैस का अधिकृत वितरक है प्रतिवादी मन्दिर महादासजी की खातेदारी की काफी ख.न. की जमीन खसरा नम्बर की जमीन कस्बा नवलगढ में स्थित है जिन पर भिन्न—भिन्न व्यक्तियों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मन्दिर महादासजी की खातेदारी की भूमि ख. न. 455 रकबा 1.14 है0 कस्बा नवलगढ में मुकुन्दगढ जाने वाली सडक पर स्थित है जिसकी चतुर्थ सीमा में उत्तर में बुद्धराम माली की काश्त की भूमि, दक्षिण में श्मशान भूमि, पूर्व में लींक रोड तथा पश्चिम में रास्ता व सीताराम माली की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर की चालू जमाबंदी आंशिक चालू नक्शा ट्रेस आंशिक दावे के साथ पेश है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि को दावे में विवादित भूमि के नाम से लिखा गया है। विवादित भूमि प्रतिवादी के पूर्वज स्व0 जैसराज पुजारी ने नवलगढ निवासी मदनलाल नाई पुत्र झाबरमल नाई को काश्त करने हेतु दे रखी थी, जिसके बाद मदनलाल नाई ने प्रतिवादी के पिता स्व0 मातदीन पुजारी की सहमति से वादी को काश्त करने हेतु कब्जे में दे दी थी। उक्त विवादित भूमि पर वादी जनवरी 1991 से काबिज है काश्त करता आ रहा है। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादी को है वादी ने उक्त विवादित भूमि के एक हिस्से पर चौखाणी गैस सर्विस का एक गोदाम बनवाा जिसके निर्माण कार्य एन.ओ.सी. व आवश्यक कार्य में काफी खर्चा हुआ। गैस गोदाम में पानी व विद्युत कनेक्शन लिया जो वादी के माताजी— पिताजी के नाम लिया हुआ है। क्योंकि वादी एक धार्मिक व्यक्ति है जो बडे बुजुर्गो के नाम से किये गये कार्य को शुभ मानता है इस प्रकार वादी अपने कब्जेशुदा भूमि पर गैस भण्डारण हेतु गैस गोदाम का निर्माण कार्य करवाया जो सन 1992 से बना हुआ है तथा वादी द्वारा शांतिपूर्वक बिना किसी अवरोध के उपयोग उपभोग लिया जा रहा है। विवादित भूमि नवलगढ कस्बे में आ जाने से व आवादी बस जाने से वादी ने अपने खर्चे से काफी वर्षो पूर्व पूर्वी दिशा की तरफ जमीन की सुरक्षा हेतु पुख्ता दिवार का निर्माण कार्य करवाया था, वर्तमान में प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त की अपने पिता व पूर्वज की सहमति से होने के बावजूद भी येन—केन बिना विधिवत प्रकिया अपनाये नाजायज रूप से कब्जे से बेदखल करने को आमादा है। जबकि वादी मन्दिर के तत्कालीन पूजारी का उस समय के कब्जेदार मदनलाल नाई की पूर्ण सहमति से काबिज है परन्तु प्रतिवादी वादी को नाजायज रूप से बेदखल करने पर आमादा है यदि प्रतिवादी अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी वादी को व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फंसना होगा जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी। इसलिये प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया

अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

कि उक्त विवादित ख.न. की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखल अन्दाजी ना स्वयं करे ना ही अपने किसी अन्य से करवाये मौके पर कब्जे में कोई दखल अन्दाजी ना करें इस से वादी के लिये दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मन्दिर महादासजी के खातेदारी की भूमि ख.न. 455 रकबा 1.14 है0 वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी अन्य नोकर चाकर आदि से करवाये साथ ही प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि बिना किसी विधिक प्रकिया के वादी के कब्जे में किसी तरह की दखल अन्दाज ना करे मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ संवत 2068 से 2071 के अनुसार भूमि ख.न. 455 रकबा 1.14 है0 की खातेदारी मंदिर श्री महादासजी वाके विराजमान खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार नवलगढ को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ख.न. 455 रकबा 1.14 है0 किस्म बाराजीन तृतीय की खातेदारी मन्दिर श्री महादासजी वाके विराजनान खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त रिकार्ड का अवलोकन करने से वादग्रस्त आराजी ख.न. 455 रकबा 1.14 है0 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नही होकर खातेदारी मंदिर महादासजी वाके विराजमान खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा वाद में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी के पिता स्व0 श्री मातादीन पुजारी की सहमति से भूमि वादी को काश्त करने हेतु कब्जे में दी थी तथा इस भूमि के हिस्से पर चौखाणी गैस सर्विस का एक गोदाम बनवाया इस प्रकार भूमि का उपयोग कृषि कार्य से भिन्न कार्य वादग्रस्त आराजी में किया गया है। मंदिर महादासजी वाके विराजमान के नाम से दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार की भूमि पर किसी प्रकार के अवैद्य कब्जा या किसी प्रकार के अकृषि कार्य हेतु सभी के लिये सैदेव ही निषेध होते हैं। अतः वादी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नही है। जहां तक बिना विधिक प्रकिया के वादी के कब्जे में दखलन्दाजी का प्रश्न है, कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि बिना विधिक प्रकिया अपनाये किसी के कब्जे में दखलन्दाजी नही की जा सकती, अतः इस बिन्दु पर अलग से आदेश की आवश्यकता नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 23/2019 (दिलिप कुमार चौखाणी बनाम मंदिर महादासजी)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाज़िरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.04.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

जिन............–..................... .मुबलिग............–............बाबत......–..................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद वशरह.........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 15 माह 04 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	03.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner